संख्या-122/2019/88/22-2-2018-17(188)/2013

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रामौतार पुत्र श्री सामन्ती, निवासी जनपद-मुरादाबाद की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-745/प्रोबे0-5-द0या0(बैठक-17.12.2017) दिनांक 05.01. 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी रामौतार पुत्र श्री सामन्ती, निवासी-भौडा थाना बिलारी जिला-मुरादाबाद का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 20.10.1985 को अपने छोटे भाई की पत्नी झम्मन व उसकी 03 वर्षीय पुत्री सुशीला की गडासे से काट कर हत्या कारित की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-19/1986 धारा-302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 विशेष अपर सत्र न्यायाधीश-मुरादाबाद के आदेश दिनांक 25.01.1988 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 04.07.2017 तक 31 वर्ष 08 माह 14 दिन की अपरिहार सजा तथा 41 वर्ष 06 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी द्वारा कारित अपराध के समाज को व्यापक रूप से समाज को प्रभावित करने वाले अपराध की श्रेणी में आने, अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, तथा पुलिस अधीक्षक ने बंदी द्वारा अपने सगे छोटे भाई की पत्नी एवं उसकी पुत्री की जघन्य हत्या करने, जिस कारण बंदी के परिवार में बंदी के विरूद्ध आज भी रोष व्याप्त होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति आयु व जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रामौतार (बंदी संख्या-33707) पुत्र श्री सामन्ती, निवासी जनपद- मुरादाबाद की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-122/2019/88(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in